वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 45

विनिवेश विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व		...	55.00	55.00	...	48.60	48.60	...	6.70	6.70
	पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़		**...**	**55.00**	**55.00**	**...**	**48.60**	**48.60**	**...**	**6.70**	**6.70**
1.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	54.10	54.10	...	48.60	48.60	...	6.70	6.70
2.	विनिवेश आयोग	3475	...	0.90	0.90	...	...	...	...	...	...
	कुल जोड़		***...***	***55.00***	***55.00***	***...***	***48.60***	***48.60***	***...***	***6.70***	***6.70***

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं** : इसमें विनिवेश विभाग के सचिवालय कर्मचारियों पर स्थापना संबधी व्यय और परामर्श शुल्क आदि की अदायगी को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **विनिवेश आयोगः** सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रक विनिवेश आयोग का गठन, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन एककों, जो इसे सरकार द्वारा संदर्भित किए जाते हैं, में किए जाने वाले विनिवेश की सीमा तथा तरीके के संबंध में सरकार को सलाह देने के अधिदेश के साथ अगस्त 1996 में किया गया था।

सरकार ने अब सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्निमाण बोर्ड का गठन किया है। सरकार की नीति के अनुसार विनिवेश आयोग का कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया और इसे 1.11.2004 से बंद कर दिया गया। अतएव, वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।